

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/5005

दिनांक :- 27.01.2020

शुद्धि-पत्र

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंतर्गत क0 लेखाकार संवर्ग में कार्यरत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण आदेशों में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

- (1) विभागीय आदेश क्रमांक प.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III/4988 दिनांक 24.01.2020 आदेश संख्या 228/2019-20 के क्रम संख्या 36 पर अंकित श्री सन्नी देओल महावर, क0 लेखाकार (लिनक नं. 12321) संबंध में उनको 86 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के कारण कॉलम संख्या 09 (वेतन नियमितिकरण तिथि) एवं 10 (स्थाईकरण तिथि) में अंकित तिथि क्रमशः 03.07.19 एवं 26.07.19 के स्थान पर 28.08.19 पढ़ी जावे।
- (2) विभागीय आदेश क्रमांक प.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III/4824 दिनांक 09.12.2019 आदेश संख्या 581/2019-20 के क्रम संख्या 29 पर अंकित नाम 'सत्येन्द्र कुमार कंसोटिया' के स्थान पर 'सत्येन्द्र कुमार कांसोटिया' एवं क्रम संख्या 58 पर अंकित 'सुमन लता बैरवा' के स्थान पर 'सुमनलता भीनमाल' पढ़ा जावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/5005

दिनांक :- 27.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)